रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 34128-131

दिनांक: 14.11.2013

सेवामें,

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय - राज्य के महाविद्यालयों में शीतकालीन अवकाश की तिथियों में अनुचित परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 7 (4) प्रवेश नीति/अकाद/निकाशि/13/320 दिनांक 13-11-2013 द्वारा सत्र 2013-14 के लिए जारी प्रवेश नीति में शीतकालीन अवकाश की घोषित तिथियों (25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर) में परिवर्तन कर अवकाश 1 दिसम्बर से 7 दिसम्बर तक घोषित किया है। इस प्रकार के अचानक, मनमाने एवं बिना व्यापक विचार के निकाले गये आदेश में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों सभी में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में कतिपय तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ -

(1) दि० 13-11-2013 के उपर्युक्त संदर्भित आदेश से मात्र एक सप्ताह पूर्व निदेशालय से क्रमांक एफ 7 (4) अकाद/निकाशि/2013/प्रवेश नीति/312 दिनांक 6-11-2013 द्वारा आदेश जारी किये गये, जिसमें शैक्षणिक सत्र सुचारु रुप से चलाने के संबंध में निर्देश दिये गए हैं कि -

"..... अधिकांश महाविद्यालयों में केवल मतदान केन्द्रों की स्थापना की जाती है तथा 2 या 3 दिन तक ही भवन की निर्वाचन कार्यों में आवश्यकता रहती है। शेष दिन शैक्षणिक सत्र सुचारु रुप से चलाया जा सकता है।"

"..... इसी के साथ अधिकांश महाविद्यालयों में से कुछ शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ को जिला प्रशासन द्वारा चुनाव में लगाया जाता है, जिनका कार्य भी 4-5 दिन से अधिक नहीं होता।"

इसके विपरीत दिनांक 13-11-2013 के आदेश में शीतकालीन अवकाश prepone करने का तर्क दिया गया है -

"..... अधिकांश महाविद्यालयों के भवन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपयोग में लिये जाने एवं महाविद्यालयों के अधिकांश कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में होने के कारण....."

अधिकार का अर्थ क्या सत्य को अपनी सोच के अनुरुप मनमाने तर्क देकर प्रस्तुत करना ही है? एक सप्ताह के भीतर दो विरोधाभासी आदेश?? सच यह है कि 33 जिला मुख्यालयों पर ही मतगणना होनी है। इन सभी जिला मुख्यालयों में से भी सभी पर मतगणना हेतु राजकीय महाविद्यालय भवनों का उपयोग नहीं होना है? फिर आदेश में इस तर्क के क्या मायने हैं?

(2) राज्य सरकार द्वारा मई 2013 में प्रवेश नीति जारी की गई थी। इसी प्रवेश नीति में सत्र का कलैण्डर जारी किया गया था, जिसमें शीतकालीन अवकाश 25-12-2013 से 31-12-2013 तक उल्लेखित किया गया है। वार्षिक कलैण्डर प्रति वर्ष सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है, ताकि अवकाश के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक एवं शैक्षिक प्रशासन अपने वर्ष पर्यन्त कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक, सहशैक्षणिक गतिविधियों का पूर्व नियोजन कर सके। शीतकालीन अवकाश विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में 25 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक ही होता आया है। विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में घोषित अवकाश की अनुरुपता के कारण विद्यार्थी अपने सम्पूर्ण परिवार के साथ छुट्टी बिता कर पुनः तरोताजा मस्तिष्क से विद्याध्ययन में जुटता है।

रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायण लाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ **दिनांक: .....**

(3) सच यह है कि राजकीय महाविद्यालयों के अनेक व्याख्याताओं की ड्यूटी सेक्टर ऑफिसर के रूप में चुनाव कार्य में लगी है तथा कई व्याख्याताओं की ड्यूटी मतगणना में भी लग सकती है। दो माह की लम्बी चुनावी ड्यूटी के बाद कई शिक्षकों ने अपने परिवार के साथ अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम तय किये हुए हैं। इनमें से कई शिक्षकों द्वारा लम्बी यात्रा के ट्रेन, वायुयान एवं होटल आदि के रिजर्वेशन कराए हुए हैं। इस प्रकार अचानक अवकाश को **prepone** करने से उनका एवं परिवार का आक्रोशित होना क्या स्वाभाविक नहीं है?

(4) शीतकालीन अवकाश घोषित के पीछे वैज्ञानिक कारण रहे हैं। दिसम्बर अंत में उत्तरी भारत में प्रायः कड़ाके की ठंड पड़ती है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के संवैधानिक प्रावधान के चलते ही सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित किए जाते हैं। वर्तमान में राज्य में चुनाव घोषित है। जन प्रतिनिधि चुनाव क्षेत्र में व्यस्त है। क्या ऐसे नाजुक एवं महत्वपूर्ण समय पर इस तरह का **policy decision** लेने से अधिकारी वर्ग को बचना नहीं चाहिए? इन छुट्टियों से कुछ सम्प्रदायों के **emotional sentiments** भी जुड़े होते हैं। अतः ऐसे निर्णयों पर व्यापक बहस की आवश्यकता होती है।

(5) केवल अवकाश घोषित करने के लिए अवकाश घोषित कर देना, क्या यह ठीक प्रशासनिक प्रक्रिया है? दीपावली अवकाश के पश्चात अभी महाविद्यालय खुले हैं, इतने कम अंतराल में पुनः अवकाश घोषित कर देने से न केवल विद्यार्थियों एवं शिक्षकों दोनों की मनस्थिति प्रभावित होगी वरन जिन उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा शीत अवकाश की घोषणा की जाती है, वे भी दुर्लक्ष्य होंगे।

(6) संगठन का स्पष्ट मानना है कि शीतकालीन अवकाश कब हो, इस पर शैक्षिक, प्रशासनिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में व्यापक बहस हो सकती है। किन्तु यह स्वीकार्य नहीं है कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इन अवकाशों में एकरूपता नहीं हो तथा अवकाश की तिथियों में अचानक परिवर्तन कर दिया जाए।

विश्वास है कि उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आप विषय की गंभीरता को समझेंगे तथा लोक कल्याणकारी सरकार के निर्वाचित होने तक इस तरह के **policy decision** पर लोकमत के विपरीत लिए गए निर्णय को निरस्त करवाने के निर्देश दे कर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों सहित अन्य संबंधित पक्षों के आक्रोश का शमन करेंगे।

साभार

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-
1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)
[महामंत्री]